



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

Kendriya Vidyalaya Sangathan

18, संस्थागत क्षेत्र,

18 Institutional Area

शहीद जीत सिंह मार्ग,

Shaheed Jeet Singh Marg

नई दिल्ली - 110 016 New Delhi-110016

Tel: 26965154 Fax No. 26514

Website: www.kvsangathan.nic.in

फा.सं.11060/4/2012-केविसं.(मु.)/(स्था.-3)

दिनांक: 01/08/2014

उपायुक्त,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थान/
एवं प्राचार्य, के.वि., काठमान्डू/मास्को/तेहरान।

विषय के.वि.सं. क्षेत्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार।

महोदय/महोदया,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में अपने शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों को उनके समर्पित और प्रतिबद्ध योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए वर्ष 2010 से क्षेत्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार प्रारंभ कर दिया है। क्षेत्रीय स्तर के पुरस्कारों की संख्या निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या
1	प्राचार्य	1
2	उप-प्राचार्य	1
3	मुख्य अध्यापक/मुख्य अध्यापिका	1
4	स्नातकोत्तर शिक्षक	2
5	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	3
6	प्राथमिक शिक्षक	4
7	विविध श्रेणी शिक्षक	3
8	समूह बी एवं सी श्रेणी के गैर-शिक्षक कर्मचारी	2
	कुल	17

इसके अलावा शिक्षक और गैर शिक्षक के प्रत्येक वर्ग में एक नाम शारीरिक रूप से विकलांग कोटे से संबंधित है जैसे जिसकी नियुक्ति शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के अंतर्गत की गई है जो दुगना परिवहन भत्ता ले रहे है, यानी की सिफारिश की जा सकती है। विशेष श्रेणी (पी.एच.) के तहत पुरस्कारों की संख्या इस प्रकार है:-

श्रेणी	विवरण	पुरस्कारों की संख्या
1	विशेष श्रेणी (शारीरिक विकलांग)- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक/प्राचार्य/उप-प्राचार्य एवं विविध श्रेणी शिक्षक	1
2	विशेष श्रेणी (शारीरिक विकलांग)- प्राथमिक शिक्षक इसमें पी.आर.टी. (संगीत) और मुख्य अध्यापक भी सम्मिलित है।	1
3	विशेष श्रेणी (शारीरिक विकलांग)-गैर शिक्षक स्टाफ	1
	कुल	3

मास्को, काठमान्डू और तेहरान में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पुरस्कार के हर वर्ग से अधिकतम एक मामले की सिफारिश उपायुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली को सीधे अग्रेषित कर सकते है तथा जीट के निदेशक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक श्रेणी से एक नाम सिफारिश कर सकते है।

- 1 इस प्रक्रिया का प्रारंभ विद्यालय प्राचार्य द्वारा प्रत्येक केंद्र के योग्य पात्र की सिफारिश क्लस्टर इंचार्ज (प्रभारी) से करने से किया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर प्रभारी को ऊपर दिए गए ब्यौरे के अनुसार (प्राचार्य एवं उप प्राचार्य को छोड़कर) कुल 15 नाम अग्रेषित करने होंगे।
- 2 क्लस्टर प्रभारी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए क.स. 3 से 8 तक ऊपर दिए गए ब्यौरे के अनुसार 15 नामों को अंतिम रूप देंगे:-
के.वि.सं. क्षेत्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार के चयन के लिए केविसं राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए जैसी ही प्रक्रिया को अपनाएंगे।
- 3 प्राचार्य और उप-प्राचार्य के मामले में क्षेत्र के उपायुक्त क्षेत्रीय चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा, प्रत्येक संवर्ग और अंतिम चयन के लिए न्यूनतम 03 आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकते हैं।
- 4 क्षेत्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु संस्तुत शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी की के.वि.सं. में पूर्ववर्ती वर्ष की 31 दिसंबर को 10 वर्ष से कम नियमित सेवा न हो और जिस श्रेणी में पुरस्कार हेतु आवेदन किया है उसमें न्यूनतम 05 वर्ष की नियमित सेवा हो कांडर में पाँच वर्ष की सेवा वाले प्राचार्य क्षेत्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार की संस्तुति हेतु पात्र हैं जबकि पुरस्कार की पात्रता हेतु उप प्राचार्य और मुख्यध्यापक/मुख्यध्यामिका का कांडर में दो वर्षों का अनुभव विचारणीय है।
- 5 क्षेत्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए स्कीनिंग सह चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे-

1	उपायुक्त/स्थानापन्न उपायुक्त	अध्यक्ष
2	स्टेशन पर वरिष्ठतम सहायक आयुक्त	सदस्य
3	क्षेत्रीय कार्यालय का प्रशासनिक अधिकारी/वित्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी	सदस्य सचिव

क्षेत्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए प्रत्येक पुरस्कार के पुरस्कार प्राप्तकर्ता रु.5000/- की नकद राशि, एक शाल एवं एक प्रशस्ति पत्र दिया जा सकता है।


क्षेत्रीय स्तर पर कुल खर्च इस प्रकार होंगे :-

1	रु.5000/- X 20 नकद पुरस्कार का (चेक/डी.डी. के रूप में)	रु.1,00,000/-
2	एक शाल, जिसका अधिकतम मूल्य रु.1000/- से अधिक न हो X 20	रु. 20,000/-
3	विविध व्यय (बैनर, पी.ए. सिस्टम, परिवहन, जलपान, लेग्निटिड सर्टिफिकेट) (प्रमाण पत्र का नमूना संलग्न है)	रु. 60,000/-
	कुल	रु.1,80,000/-

यह व्यय के.वि.सं. के बजट अनुदान में (शैक्षिक गतिविधियाँ -गैर योजना केविसं * शीर्ष से किया जाएगा।)

- 6 प्रत्येक विद्यालय से संपूर्ण संस्तुत आवेदन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में क्लस्टर प्रभारी के पास 10 अगस्त, 2014 तक पहुँच जाने चाहिए।
- 7 क्लस्टर प्रभारी से सभी मामले पूर्ण संस्तुत आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त के पास 31 अगस्त, 2014 तक अवश्य पहुँच जाने चाहिए।
- 8 प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार के.वि.सं. के स्थापना दिवस 15 दिसम्बर के समारोह में वितरित किया जा।
- 9 क्षेत्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार का 15 अंको का वेटेज केविसं. प्रोत्साहन पुरस्कार/राष्ट्रीय पुरस्कार में दिया जाएगा।
- 10 कृपया इसे अति प्राथमिकता दें।

संलग्न: यथोपरि (आवेदन पत्र का फॉर्मेट)

भवदीय

 (सु.एन. अनांद)
 संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)

प्रतिलिपि:-

- 1 आयुक्त, केविसं (मु.) के निजी सचिव।
- 2 अपर आयुक्त (प्रशा./शैक्षिक), केविसं(मु.) के निजी सचिव।
- 3 उपायुक्त(ई.डी.पी.), केविसं(मु.) को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कृपया अपनी दो पासपोर्ट साइज की फोटो अलग लिफाफे में भेजे उनके पीछे
आपका नाम लिखा हो और प्राचार्य द्वारा अनुप्रमाणित हो ।

संलग्नक - 1

कृपया अपना
पासपोर्ट साइज
का
फोटो चिपकाएं

केविस के राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करने हेतु
शिक्षक/उप-प्राचार्य/प्राचार्य के नाम की संस्तुति का प्रोफार्मा :

भाग क, ख संबंधित व्यक्ति द्वारा भरे जाए और भाग ग शिक्षकों/उप-प्राचार्यों के मामले में
प्राचार्य द्वारा तथा प्राचार्यों के मामले में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष / उपायुक्त द्वारा
भरा जाए ।

भाग - क

शिक्षक /उप-प्राचार्य/ प्राचार्य का विवरण

- 1 नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : _____
- 2 पदनाम एवं विद्यालय पता : _____
पिन कोड सहित
- 3 क्षेत्रीय कार्यालय : _____
- 4 जन्मतिथि : _____
आयु (31.3.2014 को) : _____
- 5 लिंग : _____
- 6 क्या विशेष श्रेणी से संबद्ध है : _____
जैसे शारीरिक विकलांग

7 शैक्षिक अर्हताएँ :-

परीक्षा	विश्वविद्यालय/ बोर्ड/ विभाग	वर्ष	विषय

8 केवल केविसं का सेवा रिकॉर्ड :-

विद्यालय का नाम	पदनाम	सेवा अवधि			पढ़ाए गए विषय	अन्य निष्पादित कार्य
		दिनांक से दि.मा.व	दिनांक तक दि.मा.व	कुल अवधि		

9. कुल अनुभव (केविसं में केवल)
(पिछले शैक्षिक वर्ष की
31 दिसंबर को)

शिक्षण.....

प्रशासनिक.....

अन्य.....

कुल.....

भाग ख

- 10 प्राथमिक और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों द्वारा विद्यालय स्तर पर और स्नातकोत्तर शिक्षकों, उप प्राचार्य एवं प्राचार्य के मामले में शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई उच्चतर कक्षा में बोर्ड स्तर परीक्षा में पिछले 05 वर्षों में शिक्षक का परिणाम कैसा रहा :

(क) प्राचार्य/उप-प्राचार्य के लिए

वर्ष	कक्षा	परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या	विद्यालय का निष्पादन सूचकांक 8.0 का % एवं सीजीपीए से ऊपर	टिप्पणी
	X			
	XII			

(ख) प्राथमिक शिक्षकों/प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों/स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए

वर्ष	कक्षा एवं पढ़ाए गए विषय	परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या	निष्पादन सूचकांक	ए ग्रेड/ 80 % और ऊपर का प्रतिशत प्राथमिक और प्र. स्ना. शिक्षकों के लिए 8.0 या अधिक सीजीपी ए/सी आई प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के लिए

- 11 कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाए गए नवाचार अभ्यास / प्रयोग (कृपया प्रमाण संलग्न करें)

- (क) मूल्यों पर आधारित पठन पाठन प्रक्रिया :
- (ख) कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण
- (ग) स्व-निर्मित मॉडल / शिक्षण सहायक सामग्री
- (घ) विद्यार्थियों में पठन-पाठन की आदत में सुधार करना
- (ड) प्रशासनिक कार्य (प्राचार्य के संबंध में)
- (च) कोई अन्य कार्य

14 कृपया निम्नलिखित के विषय में अपने विशिष्ट योगदान का उल्लेख करें:-

- (क) सह पाठ्यचर्या गतिविधियाँ
 (ख) अनुशासन
 (ग) खेलकूद / साहसिक गतिविधियाँ
 (घ) क्लब गतिविधियाँ / प्रदर्शनियाँ
 (ङ) मार्गदर्शन परामर्श
 (च) स्काउट एवं गाइड
 (छ) एनसीसी/एनएसएस/जीवन-कौशल
 (ज) समाज सेवा/ समुदाय सेवाएँ
 (झ) अन्य

15 क्या आपने शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित कोई लेख लिखा है और वह किसी समाचार पत्र /पत्रिका/ जर्नल में प्रकाशित हुआ है अथवा कोई पाठ्य पुस्तक लिखी और प्रकाशित हुई है ? यदि हाँ तो कृपया विवरण दें :-

क्र.सं.	लेख/ पाठ्यपुस्तक का नाम	समाचार पत्र/ पत्रिका/ जर्नल/ प्रकाशक का नाम	प्रकाशन वर्ष	टिप्पणी

16 शिक्षक को उनके विशिष्ट योगदान के प्रति प्रदान किए गए राष्ट्रीय/जिला/ राज्य/ क्षेत्रीय स्तर पर पुरस्कार/ प्रोत्साहन :

- (क) स्वयं शिक्षक को
 (ख) उस शिक्षक के मार्गदर्शन में उनके विद्यार्थियों को

पुरस्कार का नाम	पुरस्कार प्रदत्त करने वाला संस्थान	वर्ष	क्षेत्र	पुरस्कार स्वयं / विद्यार्थी को

17 अन्य कोई विशिष्ट उपलब्धि/ योगदान जिसका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

**प्राचार्य के मामले में जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त /
विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा दी जाए**

(बिंदु 18 से 25) कृपया संक्षिप्त जानकारी दी जाए

18	क्या प्राचार्य द्वारा विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कोई नवाचारी विचार प्रस्तुत किया गया है ?	
19	क्या प्राचार्य द्वारा विद्यालय की शैक्षिक/ खेलकूद/ सांस्कृतिक इत्यादि गतिविधियों में योगदान हेतु अभिभावकों को आमंत्रित किया जाता है ?	
20	क्या विद्यालय की अवसंरचनाओं के रखरखाव परिसर के सौन्दर्यीकरण एवं साफ सफाई में प्राचार्य रूचि लेते हैं, यदि हों तो विवरण दें ?	
21	क्या विद्यालय स्तर पर वार्षिक दिवस, खेलकूद दिवस, महत्त्वपूर्ण प्रकृति दिवसों पर समारोह, क्लब (प्रकृति, विज्ञान, रीडर) मूल्य आधारित शिक्षा इत्यादि जैसे क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है ? यदि हों तो विवरण दें ।	
22	क्या व्यावसायिक विकास के लिए शिक्षकों को मार्गदर्शन दिया जाता है और क्या नए-नए प्रयोगों /नवाचारों के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाता है ?	
23	शिक्षा/ खेलकूद/ अन्य गतिविधियों में क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और उनमें उपलब्धियों क्या रहीं ?	
24	पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्यालय स्तर पर क्या कोई परियोजना प्रारंभ की गई ? यदि हों, कृपया विवरण दें ।	
25	क्या सीएमपी और सीसीई के कार्यान्वयन हेतु कोई ठोस कदम उठाए गए हैं ? यदि हों, विवरण दें ।	

भाग - ग

शिक्षक / उप-प्राचार्य / प्राचार्य के संबंध में उनके उच्च अधिकारियों द्वारा (उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा) टिप्पणी

26. क्या शिक्षक का विद्यार्थी मन से सम्मान करते हैं ?
27. क्या शिक्षक का अपने सहकर्मी शिक्षकों और अन्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है ?
28. निम्नलिखित जानकारी विशेष रूप से दी जाए :-
 - अनुशासन बनाए रखने में शिक्षक की भूमिका
 - ड्यूटी और सौंपे गए कार्यों में समय पाबंदी
 - नैतिक मूल्य, राष्ट्रीय अखंडता और सांस्कृतिक विरासत संपुष्ट करने हेतु प्रयास
29. क्या समाज और अभिभावकों में शिक्षक को सम्मान प्राप्त है ?
30. समुदाय में विद्यालय की साख / प्रतिष्ठा बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका क्या है ?
31. टिप्पणी:-
 - क्या वह द्यूशन करते हैं ?
 - क्या शिक्षक शिकायते करने और मुकदमेंबाजी के आदी हैं ?
32. प्रमाणित किया जाता है कि कम सं. 1 से 31 तक दी गई जानकारी की जांच कर ली गई है और सही पाई गई हैं ।

प्राचार्य के हस्ताक्षर
(शिक्षक/उप-प्राचार्य के मामले में)
एवं
अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति के हस्ताक्षर
(प्राचार्य के मामले में)

प्रतिहस्ताक्षर
(अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध
समिति की सिफारिशों)

क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त
के प्रति हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

भाग – घ

केविसं क्लस्टर समिति की टिप्पणियाँ / संस्तुतियाँ

हस्ताक्षर
अध्यक्ष, केविसं क्लस्टर समिति

भाग – ङ

केविसं क्षेत्रीय समिति की संस्तुतियाँ

हस्ताक्षर
अध्यक्ष, केविसं क्षेत्रीय समिति

केंद्रीय विद्यालय संगठन
केविस राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार
(क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जाए)

जांच सूची..... श्रेणी (शारीरिक विकलांग)

शिक्षक/उप प्राचार्य/ प्राचार्य का नाम :

धारित पद :

गत पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/
वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14

जन्मतिथि :

केवि का नाम :

केविस में कुल सेवा :वर्ष.....माह

1 (क) माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में से उच्चतर कक्षाओं का पिछले 05 वर्षों का परिणाम

वर्ष	पढाई गई कक्षाएँ	उत्तीर्ण %	1) ए ग्रेड का % (प्राथमिक शिक्षक के लिए) 2) 8.0 % और ऊपर, सीजीपीए (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए) 3) पीआई (स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए) 4) सीजीपीए/पीआई का ऊपर और 8.0 का % (प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के लिए)

(ख) प्राथमिक कक्षाओं के संबंध में पिछले 05 वर्षों का परिणाम

वर्ष	पढाई गई कक्षाएँ	'ए' ग्रेड वाले विद्यार्थियों की सं.	'ए' ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का %

संलग्नक - III

शिक्षक/उप-प्राचार्य के मामले में प्राचार्य द्वारा और प्राचार्य के मामले में अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंध समिति अथवा उपायुक्त द्वारा प्रमाण-पत्र भरा जाए ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री/श्री/श्रीमती.....

.पदनाम.....केवि

का सेवा रिकार्ड और पूर्ववृत्त पूर्णतः बेदाग और अच्छा है और उनके विरुद्ध कोई
भी सतर्कता/ अनुशासनात्मक कार्रवाई का मामला लम्बित नहीं है ।

प्राचार्य/अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति/
उपायुक्त के हस्ताक्षर एवं मोहर

मैंने सभी विवरणों की जांच कर ली है तथा तथ्यों के किसी प्रकार से अन्यथा
पाए जाने पर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँगा /हूँगी ।

क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त के प्रतिहस्ताक्षर
(मोहर सहित)